



उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

गुरुवार, 17 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1934

(दिनांक : 07 जून, 2012)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी "क")।
2. निधन के निदेश।
3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
4. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
5. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
6. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
7. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
8. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करेंगे।
9. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"ख")

10. कार्यस्थगन प्रस्ताव, यदि कोई हो।
11. वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक की अनुदानों पर मांग, चर्चा एवं मतदान :-
 - (1) शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 28536743 हजार (दो हजार आठ सौ तिरपन करोड़ सरसठ लाख तैंतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

- (2) जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 6905510 हजार (छः सौ नब्बे करोड़ पचपन लाख दस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

- (3) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 2918190 हजार (दो सौ इक्क्यान्वे करोड़ इक्क्यासी लाख नब्बे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

- (4) पशुपालन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 897863 हजार (नवासी करोड़ अठहत्तर लाख तिरसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

- (5) श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 591212 हजार (उन्सठ करोड़ बारह लाख बारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

- (6) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 4393559 हजार (चार सौ उन्तालीस करोड़ पैंतीस लाख उन्सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

- (7) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 739890 हजार (तिहत्तर करोड़ अठानवे लाख नब्बे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

- (8) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 5339499 हजार (पांच सौ तैंतीस करोड़ चौरानवे लाख निन्यानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

- (9) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 1553936 हजार (एक सौ पचपन करोड़ उन्नालीस लाख छत्तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

12. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय। **(30 मिनट)**
13. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।
14. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
15. जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत कुमौऊ मण्डल विकास निगम नैनीताल द्वारा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिन्सर-बैजनाथ-पिण्डारी ग्लेशियर सर्किट का कार्य लगभग रुपये 7.54 करोड़ की स्वीकृति के बाद पूर्ण न होने तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्य पूर्ण दिखाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, पर्यटन मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।
16. विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के विकास खण्ड गरुड़ में गरुड़ गंगा से गरुड़ वृहद् पेयजल लिफ्ट योजना बनाने की कार्यवाही दो वर्षों से लम्बित रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 05 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, पेयजल मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 07 जून, 2012

(डी0पी0गैरोला)
प्रमुख सचिव।